न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06/2016

बउनवान

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा अन्ता जर्ये रीजनल हेड के सी सी (अपीलांट)

बनाम

1. दौलतराम पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी मूण्डला तह0 मांगरोल
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मांगरोल
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध नामा. क्रमांक 286 प्रमाणित दि0 03.02.2015 ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री घनश्याम गर्ग एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय दिनांक 20.01.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मूण्डला, तहसील मांगरोल में आराजीयात खाता संख्या 6 पुराना 6 सम्वत् 2068–71 कुल किता 16 रकबा 11.38 है. में रेस्पो0 क्रम 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा के.सी. सी. ऋण प्राप्त करने हेतु अपीलांट बैंक में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी ऋण पत्रावली तैयार की जाकर राशि 928200/– का धारा 6(1) के अधीन घोषणा हेतु रहन दर्ज करने के लिये दिनांक 13.10.2014 को प्रपत्र प्रस्तुत किये जो दिनांक 31.10.2014 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2 पृष्ठ संख्या 362 पर उप पंजीयक सीसवाली द्वारा रहन दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी को भिजवाया गया। लेकिन हल्का पटवारी ने अपीलांट के हक में दिनांक 20.02.2015 तक रहन दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 ने अपीलांट से धोखा धड़ी करते हुए उसके खाते व हिस्से की 1/3 आराजी पर पुनः ऋण लेने हेतु रेस्पो0 क्रम 2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया तथा रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा भिजवाये गये 6(1) प्रपत्र रहननामा दिनांक 21.01.2015 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 पृष्ठ संख्या 480 पर दर्ज किया जाकर उसका इन्तकाल नंबर 286 दिनांक 03.02.2015 को दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त कृत्य की जानकारी होने पर दिनांक 11.03.2015 को रेस्पो0 क्रम 2 को आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पो0 क्रम 1 को ऋण न देने हेतु तथा उनके द्वारा दिये गये ऋण की वसूली हेतु आग्रह किया गया। साथ ही अपीलांट ने तहसीलदार मांगरोल एव नायब तहसीलदार सीसवाली को आवेदन करने पर उनके द्वारा अपीलांट के हक में इन्तकाल नंबर 288 दिनांक 02.06.2015 को रहन दर्ज करना स्वीकार किया। अपीलांट का रहन पहले दिनांक 25.10.2014 को स्वीकार किया गया जबकि रेस्पो0 क्रम 2 [illegible] 21.01.2015 को दर्ज किया गया। इस प्रकार अपीलांट बैंक का रहन का इंतकाल पहले दर्ज किया जाना चाहिये था तथा रेस्पो0 क्रम 2 का रहन बाद में दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 286 ग्राम मूण्डला [illegible] रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा [illegible] में दिये गये ऋण रहननामा को बाद में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रजिस्टर्ड तलबी उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2

अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त नहीं होने एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का देहान्त होने पर हमने रेस्पोडेन्ट कम 2 को पुनः तलब किया। रेस्पो0 कम 2 ने उपस्थित होकर उनके द्वारा दिनांक 02.01.2020 को तहसीलदार मांगरोल को भिजवाये गये पत्र धारा 6(1) के तहत चार्ज भार निरस्त करने हेतु की प्रति एवं अन्य पत्रादि पेश किये।

हमने प्रकरण बहस हेतु निश्चित किया। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट की सुनकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पूर्व में स्वीकृत ऋण का नामान्तकरण दर्ज नहीं कर रेस्पो0 कम 2 द्वारा बाद में स्वीकृत ऋण का नामान्तकरण पहले दर्ज कर दिया। वर्तमान में रेस्पो0 कम 2 ने स्वंय उपस्थित होकर उनके द्वारा दिनांक 02.01.2020 को तहसीलदार मांगरोल को भिजवाये गये पत्र धारा 6(1) के तहत चार्ज भार निरस्त करने हेतु की प्रति पेश की है। अतः रेस्पो0 कम 1 के हिस्से की आराजीयात पर से रेस्पो0 कम 2 का रहन निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 286 से रेस्पो0 कम 1 का रहन रेस्पो0 कम 2 के हक में दिनांक 03.02.2015 को स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तकरण रेस्पो0 कम 1 द्वारा भूमि पर ऋण लेने पर दिनांक 21.01.2015 को पंजीबद्ध रहननामे के आधार पर स्वीकार किया गया। परन्तु नामान्तकरण संख्या 288 दिनांक 31.10.2014 को रहननामा अपीलांट के द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर रहननामा पंजीबद्ध होने से दिनांक 02.06.2015 को स्वीकार किया गया। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 कम 1 को दिनांक 31.10.2014 को अपीलांट से ऋण स्वीकृत हुआ जिसका नामा0 संख्या 288 दिनांक 02.06.2015 को बाद में स्वीकार किया गया जबकि रेस्पो0 कम 2 द्वारा दिनांक 21.01.2015 को उसे ऋण स्वीकार करने पर नामा0 संख्या 286 दिनांक 03.02.2015 को पहले स्वीकार किया गया। अतः उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। परन्तु रेस्पो0 कम 2 के प्रतिनिधी ने रेस्पो0 कम 1 द्वारा ऋण चुकता करने व रहन निरस्त करने के सम्बन्ध में तहसीलदार को लिखा पत्र पेश किया है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 286 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि चूंकि रेस्पो0 कम 1 द्वारा रेस्पो0 कम 2 से ऋण बाद में लिया था तथा उसके द्वारा उक्त ऋण को रेस्पो0 कम 2 को चुका दिया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि कर आवश्यकतानुसार पुनः रहन का नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर,बारां
बारां (राज०)